पत्रांक–बि.प्र.सु.मि.सो./विविध–25/2018 सो. 1858

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ० प्रतिमा,

सचिव–सह–अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 16/10/2019

विषयः– **भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार में पदस्थापित बिहार संवर्ग के सभी पदाधिकारियों एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक–42 दिनांक–08.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिहार में पदस्थापित) के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी0यू0जी0 नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट के क्रय पर राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक–15.03.2018 से प्रभावी इस व्यवस्था के तहत मोबाईल सेट के क्रय के पश्चात पदाधिकारियों के द्वारा अधियाचित राशि पर की जाने वाली प्रतिपूर्ति में सामने आई कतिपय कठिनाईयों को दूर करने के दृष्टिगत मोबाईल सेट के क्रय/प्रतिपूर्ति की इस व्यवस्था में शासी परिषद की 24वी बैठक की कार्यावली बिन्दु–07 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित किया जाता हैः–

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–03/एफ–01–39/2014–2480/वि0 दिनांक–31.03.2017 एवं संकल्प संख्या–03/एफ–01–39/2014–8060/वि0 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में मोबाईल का जीवन काल 04 वर्ष निर्धारित है। मोबाईल के जीवन काल की गणना उसके क्रय की तिथि से परिगणित होगी, अतएव पुराने मोबाईल के क्रय के 04 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही नए मोबाईल के क्रय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

2. पुराने मोबाईल के क्रय के 04 वर्ष पूरा होने के पश्चात यदि उपर्युक्त सेवा का पदाधिकारी नये मोबाईल सेट का क्रय कर उसकी राशि की प्रतिपूर्ति का दावा करना चाहते हैं तो पदाधिकारी के द्वारा पुराने मोबाईल को Retain किया जाना अनिवार्य होगा एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से पूर्वोनुमति के पश्चात पूर्व के क्रय किए गए मोबाईल की प्रतिपूरित राशि का 10 प्रतिशत Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा कराना होगा।

3. वैसे पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृति की तिथि 04 वर्षों से कम है वे इस शर्त के साथ क्रय किये गये मोबाईल सेट की राशि की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे कि उन्हें इस आशय का घोषणा–पत्र समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा क्रय किए गये मोबाईल सेट को सेवानिवृति के समय अनिवार्य रूप से Retain किया जायेगा एवं सेवानिवृति की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ह्रास दर के आधार पर मोबाईल सेट की प्रतिपूरित राशि का अनुमान्य Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा किया जायेगा। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा सेवांत लाभ के भुगतान के पूर्व उक्त पदाधिकारी द्वारा क्रय किये गये मोबाईल सेट के विरूद्ध Depriciated Cost की राशि जमा कराए जाने से संबंधित NOC बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से प्राप्त कर ली जाएगी।

4. पदाधिकारियों द्वारा क्रय किए गये मोबाईल सेट के विपत्र पर उनके स्वयं का नाम अनिवार्य रूप से अंकित रहना चाहिए। स्वघोषणा–पत्र के साथ मोबाईल क्रय के विपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी मोबाईल सेट के क्रय की प्रतिपूर्ति की इस योजना से आच्छादित होंगे।

अनुरोध है कि इसकी जानकारी सभी संबंधित को देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

16/10/19

(डॉ० प्रतिमा)

सचिव–सह–अपर मिशन निदेशक

मोबाईल सेट क्रय की राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित स्व–घोषणा पत्र

1. मैं .... (नाम), भा0प्र0से0 / बि0प्र0से0 .... कोटि क्रमांक .... (बैच), ... (पदनाम), ... (वर्तमान पदस्थापन) यह घोषणा करती / करता हूँ कि मैंने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–42 दिनांक–08.01.2019 के आलोक में .... (मॉडल) का मोबाईल सेट का क्रय किया है, जिसका मूल्य ₹ ..../– (............... .... रूपये) है।
2. क्रय किए गये मोबाईल का विपत्र मेरे नाम से है। (मूल विपत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न है)
3. मोबाईल क्रय की तिथि को मेरी आयु– .... वर्ष .... माह है।
4. मेरे द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से मोबाईल सेट क्रय हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा

मेरे द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–13188 दिनांक–08.12.2009, पत्रांक–757 दिनांक–31.05.2018 / पत्रांक–42 दिनांक–08.01.2019 / पत्रांक–1858 दिनांक–16.10.2019 के आलोक में मेरे नाम .... से ₹ ..../– (................. ....रूपये) राशि का मोबाईल सेट दिनांक–................ को क्रय किया गया है। क्रय किए गये मोबाईल सेट के विपत्र के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो गयी है। इस मोबाईल सेट का जीवन काल 04 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस मोबाईल सेट को अपने पास रखने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से पूर्वानुमति के पश्चात मोबाईल सेट के क्रय मूल्य के विरूद्ध प्रतिपूरित राशि का 10 प्रतिशत राशि कोषागार में चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। (मूल चालान की प्रति संलग्न है)

*5. मेरे द्वारा क्रय किए गए मोबाईल सेट को सेवानिवृति के समय अनिवार्य रूप से Retain किया जायेगा एवं सेवानिवृति की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ह्रास दर के आधार पर मोबाईल सेट की प्रतिपूरित राशि का अनुमान्य Depreciation Cost की राशि कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा कर इसकी सूचना मिशन कार्यालय एवं अपने सेवानिवृति के कार्यालय को दी जाएगी।

6. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–42 दिनांक–08.01.2019 / पत्रांक–1858 दिनांक–16.10.2019 के आलोक में कुल ₹................/– (.. रूपये) मेरे निम्न वर्णित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए:–

खाताधारक का नाम	
खाता संख्या	
बैंक का नाम	
शाखा	
IFSC Code	

स्थान–................................ **हस्ताक्षर**

तिथि–................................ **नाम** ....

पदनाम ....

***जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**

D:\PO.docx/35